रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III— Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940
No. 245] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

परिपत्र सं. 2018 का 08

विषय : प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा वर्गीकृत स्थानीय प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों अर्थात टेलीकॉम सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रित वित्तीय कम्पनियों, नॉन-बैंक पीपीआई इश्यूअर्स, सीसीए नियंत्रित ई-साइन प्रदाता, गैर-बीमा कम्पनियों, एनबीएफसी इत्यादि द्वारा आधार संख्या और सीमित ई-केवाईसी के स्थान पर वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन का उपयोग करना

प्रमाणीकरण प्रभाग फा.सं.के.11020/217/2018-यूआईडीएआई (प्रमाणीकरण-I).—यूआईडीएआई ने अपने परिपत्र सं. 1 दिनांक 10.01.2018 (वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन और सीमित ई-केवाईसी का क्रियान्वयन) और परिपत्र सं. 5 दिनांक 16.05.2018 (वैश्विक प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों और स्थानीय प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों का वर्गीकरण) के द्वारा प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों (ए.यू.ए) और प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों (ए.एस.ए) को वर्चुअल आईडी, यूआईडी टोकन और सीमित ई-केवाईसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपने प्रमाणीकरण सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिए थे।

2. डाटा सुरक्षा और आधार धारकों की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए यूआईडीएआई ने परिपत्र संख्या 5 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा कुछ प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों को स्थानीय प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों अर्थात् टेलीकॉम सेवा प्रदाता, राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रित वित्तीय कम्पनियों के रूप में वर्गीकृत प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों, नॉन-बैंक पीपीआई इश्यूअर्स, सीसीए नियंत्रित ई-साइन प्रदाता, गैर-बीमा कम्पनियों, एनबीएफसी आदि को वर्गीकृत करने का निर्णय लिया था। ये एजेंसियां आधार संख्या के स्थान पर वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन का उपयोग करके सीमित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण हेतु एक्सेस उपलब्ध कराएंगी।

3. यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों को अपने ग्राहकों से आधार संख्या लेनी होगी और संबंधित कानूनों अर्थात् धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 (4) और नियम 9(15), समय-समय पर जनसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी निर्देशों के तहत अपने नियंत्रकों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के अनुसार आधार प्रमाणीकरण करना होगा।

4. चूंकि वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन आधार संख्या के विभिन्न रूप हैं, अत: प्राधिकरण आधार (प्रमाणीकरण) विनियम, 2016 के विनियम, 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह स्पष्ट करता है कि वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन स्थानीय प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसी/केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसियों (एयूए/केयूए) द्वारा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किए जाने पर आधार संख्या के स्थान पर विधिवत् स्वीकार किया जाए और इन्हें संबंधित विनियमों के अनुपालनार्थ आधार संख्या के रूप में माना जाएगा।

5. उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए स्थानीय प्रमाणीकरण प्रयोक्ता एजेंसियों को तदनुसार निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संबंधित नियंत्रकों की अपेक्षाओं के अनुपालन में आधार संख्या और सीमित ई-केवाईसी के स्थान पर वर्चुअल आईडी और यूआईडी टोकन के उपयोग हेतु अपने प्रमाणीकरण सिस्टम में आवश्यक परिवर्तन करें।

रूपिन्दर सिंह, उप महानिदेशक (प्रमाणीकरण)

[विज्ञापन-III/4/असा./120/18-19]

THE UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2018

CIRCULAR No. 08 of 2018

Sub: Use of Virtual ID and UID Token in lieu of Aadhaar number and Limited e-KYC by AUAs classified as Local AUAs viz. Telecom Service Providers, National Housing Bank regulated Finance Companies, Non-bank PPI Issuers, CCA regulated eSign Providers, non-Life Insurance Companies, NBFCs etc.

Authentication Division F. No. K-11020/217/2018-UIDAI (Auth-I).—UIDAI vide its Circular No. 1 dated 10.01.2018 (Implementation of Virtual ID, UID Token and Limited KYC) and Circular No. 5 dated 16.05.2018 (Classification of Global AUAs and Local AUAs), had directed AUAs and ASAs to make necessary changes in their authentication systems for effective implementation of Virtual ID, UID Token and Limited e-KYC.

2. In the interest of data security and privacy of Aadhaar holders, UIDAI vide circular No. 5 dated 16.05.2018, had decided to classify certain AUAs as Local AUAs viz. Telecom Service Providers, National Housing Bank regulated Finance Companies, Non-bank PPI Issuers, CCA regulated eSign Providers, non-Life Insurance Companies, NBFCs etc which will be provided access to limited e-KYC authentication using Virtual ID and UID Token in lieu of Aadhaar number.

3. It is noted that the aforesaid AUAs are required to collect the Aadhaar number of their clients and undertake Aadhaar authentication as mandated by their Regulators under respective laws viz. Rule 9(4) and Rule 9(15) of the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, instructions issued by Department of Telecommunication (DoT) from time to time etc.

4. Since Virtual ID and UID Token are different forms of Aadhaar number the Authority, in exercise of its powers under Regulation 30 of the Aadhaar (Authentication) Regulations, 2016, hereby clarifies that Virtual ID and UID token may therefore be duly accepted by Local AUAs/KUAs in lieu of Aadhaar number when so mandated by the Authority and will be deemed as the Aadhaar number for the purposes of compliance of their respective Regulations.

5. In view of the above, the Local AUAs are accordingly directed to make necessary changes in their authentication systems for use of virtual ID, UID Token in lieu of Aadhaar number and limited e-KYC to comply with requirements of their respective Regulators.

RUPINDER SINGH, Dy. Director General (Auth.)

[ADVT.-III/4/Exty./120/18-19]

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.06.29 23:08:30 +05'30'